

न्यायालय :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर
(म.प्र.)

मण्डलेश्वर, दिनांक 20.07.2020

// सूचना //

कोरोना वायरस(कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक सी/1778, जबलपुर दिनांक 19.07.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर के पृष्ठांकन क्रमांक/लेखा/2020, मण्डलेश्वर दिनांक 20.07.2020 के पालन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पूर्व के सर्कुलर क्रमांक डी/2377, दिनांक 27.06.2020, क्यू/12 दिनांकित 04.05.2020, एवं अन्य सर्कुलर एवं क्लेरीफिकेशन को दिनांक 20.07.2020 से दिनांक 25.07.2020 तक बढ़ाये जाने से तथा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों अनुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनाकों को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जावेंगे -

सिविल एवं आपराधिक प्रकरण

(जमानत, अपील एवं अन्य प्रकरण जो अंतिम तर्क की स्टेज पर हैं, को छोड़कर)

क्र.	नियत तिथि	सिविल आगामी तिथि	आपराधिक आगामी तिथि
1.	20.07.2020	03.09.2020	...
2.	21.07.2020	04.09.2020	
3.	22.07.2020	07.09.2020	...
4.	23.07.2020	08.09.2020	
5.	24.07.2020	09.09.2020	20.08.2020
6.	25.07.2020	10.09.2020	

(बी०आर० पाटिल)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

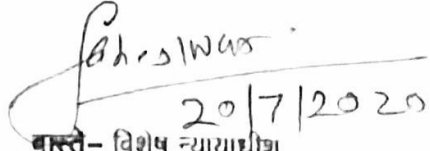
न्यायालय- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा अत्याचार निवारण)
अधिनियम, पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर.

सूचना पत्र

माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक B/1778 दिनांक 19-07-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों एवं जिला अभिभाषक संघ मण्डलेश्वर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 11/2020 दिनांक 07.05.2020 के अनुसार बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एवं सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अधिवक्तागण द्वारा वीसी के माध्यम से तथा न्यायालयों में उपस्थित होकर न्यायिक कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण दिनांक 20.07.2020 से 25.07.2020 तक इस न्यायालय में लंबित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार आगामी नियत दिनांक को सुनवाई में लिये जावेंगे:-

अ.क.	पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1.	20.07.2020	----
2.	21.07.2020	28.08.2020
3.	22.07.2020	29.08.2020
4.	23.07.2020	31.08.2020
5.	24.07.2020	02.09.2020
6.	25.07.2020	03.09.2020
7.	28.07.2020 रविवार अवकाश	-----

तदनुसार समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण सूचित हों।


20/7/2020
बास्ते- विशेष न्यायाधीश,
अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम
1989, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

न्यायालय:-प्रवीण हजारे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
प0नि0 मण्डलेश्वर(म.प्र.)

क 278 / 2020

मण्डलेश्वर, दिनांक 20 07 2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क सी/1778 जबलपुर दिनांक 19.07.2020 के पालन मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश की निरतरता की अवधि दिनांक 20.07.2020 से 25.07.2020 तक बढ़ायी जाने से समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं तथा उक्त दिनाकों में नियत समस्त प्रकरणों में आगामी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत सबधी प्रकरण एवं अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरण एवं स्थगन से संबधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। साथ ही इस न्यायालय में अंतिम तर्क की स्टेज पर नियत प्रकरण पूर्व से नियत दिनांक को विडियो कांफेसिंग द्वारा या लिखित तर्क पेश कर सुनवाई में लिये जा सकेंगे एवं शेष कार्यवाहियों से संबधित समस्त प्रकरणों मे नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों मे उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

नियत दिवानी प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	21.07.2020	11.08.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जाये।



प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

न्यायालय- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा अत्याचार निवारण)

न्यायालय :- श्री अरुण कुमार खरादी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म0प्र0)

// सूचना-पत्र //

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जलबपुर के द्वारा एडवायजरी/निर्देश सर्कुलर क. सी./1778 जबलपुर दिनांक 19.07.2020 एवं सर्कुलर क. डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.06.2020 तथा सर्कुलर क्रमांक क्यू 12 दिनांक 04.05.2020 द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 17.07.2020 तक लाकडाउन बढ़ाया गया है, के अनुपालन में सुमस्त सम्माननीय अधिवक्तागण एवं संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक ~~20.07.2020~~ **25.07.2020** से **इस न्यायालय** में सुनवाई हेतु नियत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में (अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण जमानत आवेदन पत्र/निषेधाज्ञा संबंधित आवेदन पत्रों एवं अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों को छोड़कर) निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है:-

क.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत पेशी दिनांक
1.	20.07.2020	14.09.2020
2.	21.07.2020	15.09.2020
3.	22.07.2020	16.09.2020
4.	23.07.2020	18.09.2020
5.	24.07.2020	21.09.2020
6.	25.07.2020	22.09.2020

(अरुण कुमार खरादी)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म.प्र.)
अरुण कुमार खरादी
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
प.नि मण्डलेश्वर